एकीकृत हथकरघा विकास योजना

दिशा निर्देश

हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय
वस्त्र मंत्रालय
उद्योग भवन
नई दिल्ली

<u>एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस)</u>

1. <u>भूमिका</u>

हथकरघा क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है जो लगभग 65 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है । यह क्षेत्र हाथ से बुनाई की काफी पुरानी भारतीय परंपरा को बनाए रखने को दर्शाता है और बुनकर समुदायों की समाजिक सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है । भारत सरकार अनेक नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र का संवर्धन करने और प्रोत्साहित करने की नीति अपनाती रही है । 9वीं और 10वीं योजनावधि में भारत सरकार की अधिकांश योजना संबंधी हस्तक्षेप हथकरघा क्षेत्र में राज्य एजेसियों और सहकारी समितियों के माध्यम से रही हैं । तथापि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में वस्त्र उद्योग में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मकता और एमएफए पश्चात वातावरण में उभरते हुए मुक्त व्यापार के अवसरों को देखते हुए, वैश्विककृत वातावरण की चुनौतियों को सामना करने के लिए हथकरघा बुनकरों को सुविधा प्रदान करने के वास्ते इस क्षेत्र में एक संकेन्द्रित परंतु लचीले व सुव्यवस्थित नीति को अपनाने की बढ़ती हुई आवश्यकता महसूस की गई है । उभरते हुए बाजार प्रवृतियों के अनुरूप विकास व विविधीकरण के लिए एक सतत मार्ग का रूपरेखा तैयार करने के लिए बुनकरों को सशक्त करने की भी आवश्यकता महसूस की गई है । एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) अभिज्ञात हथकरघा समूहों में अथवा उससे बाहर स्थित हथकरघा बुनकरों के सतत विकास को सुविधा प्रदान कर एक सामंजस्यपूर्ण, स्वनिर्भर और प्रतिस्पर्धी सामाजिक आर्थिक इकाई में परिणत करने का एक प्रयास है ।

2. एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस)- केंद्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना स्कीम

11वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) को चार योजनाओं अर्थात दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीबीएचपीवाई), एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आईएचटीपी), एकीकृत हथकरघा सामूहिक विकास योजना (आईएचसीडीएस) और कार्यशाला सह आवास योजना में संशोधन सहित अथवा उसके बिना आवश्यक संघटकों को मिलाकर केंद्रीय रूप प्रायोजित योजना स्कीम के रूप में बनाया गया है ।

3. योजना के संघटक

इस योजना के निम्नलिखित चार संघटक हैं-

क्र.सं.	आईएचडीएस के संघटक	वित्तीय सहायता के लिए पात्र आईएचडीएस के उपसंघटक
क.	प्रति समूह 300-500 की श्रेणी में हथकरघा वाले समूह	1. बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और स्वयं सहायता समूहों का निर्माण (एसएचजी). 2. कन्सोर्टियम का निर्माण 3. यार्न भंडारों की स्थापना के लिए कॉरपस निधि 4. डिजाइन विकास एवं उत्पाद विविधीकरण 5. साझा सुविधा केंद्र/डाई हाऊस 6 प्रचार एवं विपणन 6. परियोजना प्रबंधन लागत 7. बेसिक इनपुट्स 8. कौशल उन्नयन 9. कार्यशाला का निर्माण
ख.	समान भौगोलिक क्षेत्रों में समूह से	क. बेसिक इनपुट्स

	बाहर परियोजना रूप में कार्यान्वित किए जाने के लिए सामूहिक नीति	ख. कार्यशाला का निर्माण ग. कौशल उन्नयन
ग.	हथकरघा संगठनों के लिए सहायता	1. विपणन प्रोत्साहन 2. हथकरघा संगठनों का सुदृढीकरण
घ.	अन्य	1. अभिनव विचार 2. प्रचार, मानिटरिंग, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन

4. इस योजना का उद्देश्य

- चयनित हथकरघा समूहों ने एक दृष्टिगत उत्पादन समूह के रूप में हथकरघा बुनकर समूहों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना ।
- आत्मनिर्भर बनने के लिए हथकरघा बनुकर समूहों सहायता देना ।
- सहकारी समिति के भीतर और बाहर दोनों में बुनकरों को शामिल करने के लिए एक समाविष्ट नीति ।
- बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत गुणवत्ता वाले विविधीकृत उत्पादों का उत्पादन करने के लिए हथकरघा बुनकरों/समूहों के कौशलों का उन्नयन करना ।
- बुनकरों को उन्हें उन्नत उत्पादकता वाले उत्कृष्ट उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सक्षम बनाने के वास्ते उपयुक्त कार्यस्थल प्रदान करना ।
- विपणन, डिजाइनिंग और उत्पादन का प्रबंधन करने के लिए उद्यमियों, डिजाइनरों और पेशेवरों को शामिल कर बाजार उन्मुखीकरण ।
- वित्तीय संस्थाओं/बैकों से ऋण की प्रक्रिया को आसान बनाना ।
- बुनकरों के सहकारीकरण को प्रोत्साहित करना ।
- प्रत्येक समूह को आवश्यकता आधारित इनपुट्स प्रदान करने के लिए सुव्यवस्थित और लचीले हस्तक्षेप ।

भाग - क

(क) सामूहिक विकास कार्यक्रम (300-500 की श्रेणी में हथकरघा वाले हथकरघा समूह के लिए सहायता)

सामूहिक विकास नीति एक दृष्टिगत संस्था के रूप में बुनकर समूहों के निर्माण पर केंद्रित है ताकि ये समूह आत्मनिर्भर बन सकें । 625 समूहों जिसमें प्रत्येक समूह में लगभग 300-500 हथकरघा कवर होता है, को 11वीं योजनावधि के दौरान शुरू किया जाएगा । इसमें वे 100 समूह भी शामिल होंगे जिनके लिए निदान संबंधी अध्ययन वर्ष 2006-07 के दौरान पूरा कर लिया गया है और वर्ष 2007-08 के बजट में इन समूहों की घोषणा की गई है ।

(क.1) समूह की परिभाषा

हथकरघा समूह की परिभाषा एक ऐसे जगह के रूप में की जा सकती है जहां हथकरघा फैब्रिक्स का उत्पादन करने वाले हथकरघा का बहुत बडा सकेंद्रण है जो बाजार की मांगों की अनुरूप होगा । ये हथकरघें को एक प्रशासनिक जिला के भीतर अथवा दो जिलों में (अधिकतर सटे हुए) दो समीवर्ती राजस्व उपमंडलों/गांवों के निकट में अवस्थित हो सकते हैं । अपेक्षाकृत लघु और भारी राज्यों में जहां गांव/उपमंडल छोटे आकार के हैं, वहां गांवों/उपमंडलों की संख्या बढायी जा सकती है ताकि समूह का न्यूनतम महत्वपूर्ण आकार सुनिश्चित किया जा सके । देश भर में अनेक समूहों में, हथकरघों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन योजना के उद्देश्य से, समूह का आकार 300-500 की श्रेणी में हथकरघा वाले समूह के हिस्से तक सीमित किया जाएगा ।

(क.2) बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और सामूहिक विकास कार्यपालक (सीडीई)

(क.2.1) बेसलाइन सर्वेक्षण

बेसलाइन सर्वेक्षण में समूह के प्रोफाइल तैयार करने के लिए अर्थात सक्रिय हथकरघों की संख्या, हथकरघों का प्रकार, बुनकरों की संख्या (पुरूष/महिलाएं-सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य अल्पसंख्यक/इत्यादि), प्रयोग किए गए यार्न का प्रकार, उत्पादन श्रृंखला, औसत बुनकर आय आदि के लिए समूह के प्रत्येक बुनकर (300-500 करघे) का दौरा अपेक्षित होगा । बेसलाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन करने के लिए संगठन का प्रोफाइल के लिए एक प्रोफार्मा **अनुबंध-क-1** मे दिया गया है । बेसलाइन सर्वेक्षण और समूह में अलग-अलग बुनकरों को अपेक्षित सहायता के ब्यौरे के लिए एक प्रोफार्मा **अनुबंध-क-2** में दिया गया है ।

(क.2.2) निदान संबंधी अध्ययन

समूहों का निदान कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना करने के प्रति पहला कदम है । यह शक्तियों और कमजोरियों, उस वातावरण की पहचान करने में सहायता करेगा जिसमें समूह कार्य करता है और प्रभावी उत्पादन के लिए कौन-कौन से नीतिगत कदम उठाये जाने की आवश्यकता है । यह निदान नीतिगत दिशा और संभावित उत्पादन प्रदान करेगा जो ये समूह एक समयावधि में प्राप्त करना चाहते हैं । वास्तविक कार्य बिन्दु आपसी विश्वास बनाने और समूह में कार्य वाले व्यक्तियों द्वारा उसकी पुष्टि से सामने आएगा । निदान का उद्देश्य (क) वर्तमान परिदृश्य जिसके तहत हथकरघा समूह में कार्य रहे हैं, को समझना और उसका विश्लेषण करना है अर्थात कार्यकलाप विश्लेषण, उत्पादन क्रियाकलाप की प्रकृति, उत्पादों की प्रोफाइलिंग, उत्पादन का पैटर्न और इसके लिए मौजूदा बाजार संभावना (ख) समूहों की शक्ति, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों का विश्लेषण (ग) अंतरों और बाधाओं की पहचान करने के लिए मूल्यश्रृंखला विश्लेषण (घ) हथकरघा उत्पादकों की सेवा करने वाले स्थानीय संगठन का सामाजिक/संस्थागत विश्लेषण (ड.) सामाजिक आर्थिक वातावरण को समझना जिसमें समूह कार्य करता है (च) समूह और बाजार की संभावना का सही उपयोग करने के लिए अपेक्षित कार्य योजना के मामले में सिफारिशें आदि । की गई निदान संबंधी अध्ययन और कार्य योजना का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा **अनुबंध-क-3** में दिया गया है ।

(क.2.3) सामूहिक विकास कार्यपालक (सीडीई)

प्रत्येक कार्यान्वयन एजेसी अन्नय रूप से सामूहिक विकास कार्यपालक (सीडीई) की पहचान और पदस्थापित करेगा जो समूह में स्थित होगा और दिए गए समूह में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा । सीडीई की जिम्मेदारियों में निदान संबंधी अध्ययन करना, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, सामूहिक कार्य योजना के अनुसार समय सीमा में इस परियोजना के कार्यान्वयन, बुनकरों के स्वयं सहायता समूहों का निर्माण और इन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से जोड़ना, स्थानीय शासन ढ़ाचा बनाना, समूहों के बुनकरों को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ के साथ अपेक्षित मात्रा में उत्कृष्ट यार्न, रंजक रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते जोड़ना आदि शामिल होगा । सामूहिक विकास की प्रक्रिया में समूह स्तर के स्टेक होल्डरों को शामिल करने, सीडीई की क्रियाकलापों में सहायता देने और मानिटरिंग करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य स्तरीय हथकरघा सहायक निदेशक अथवा राज्य हथकरघा व वस्त्र निदेशक द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी (जो हथकरघा का कार्य देख रहे हों), की अध्यक्षता में एक सामूहिक विकास समन्वय समह (सीडीसीजी) समूह स्तर पर बनाया जाएगा जिसने बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों, प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों, हथकरघा उपक्रमों, निर्यात इकाइयों और सहायता सेवा संस्थाओं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), बैंकों, राज्य सरकार के एजेंसियों के प्रतिनिधि होंगे ।

(क.3) समूह विकास के लिए वित्तीय सहायता के वास्ते पात्र मदें

प्रत्येक समूह की अधिकतम परियोजना लागत 3 वर्षों की परियोजना अवधि के लिए 60.00 लाख रू. होगी ।

(A.3.1) सामूहिक विकास :बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और स्वयं सहायता समूहों का निर्माण

चयनित समहों के लिए सामूहिक विकास नीति अपनायी जाएगी जिसमें एक अभिज्ञात कार्यान्वयन एजेंसी समूह का बेसलाइन सर्वेक्षण व निदान संबंधी अध्ययन करेगी और विभिन्न स्टेक होल्डरों के परामर्श से एक व्यापक सामूहिक विकास योजना बनाएगी । कार्यान्वयन एजेंसी समूह में स्वयं सहायता समूहों को बनाएगी और उसे ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक के साथ जोड़ेगी । बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान सबंधी अध्ययन, स्वयं सहायता समूहों के निर्माण और उनके प्रशिक्षण के लिए एकमुश्त सहायता प्रति समूह 1,25,000 रू. होगी । ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसी है बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान सबंधी अध्ययन, स्वयं सहायता समूहों के निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और कोई वित्तीय सहायता उस प्रयोजन से नहीं दी जाएगी ।

(क.3.2) कन्सोर्टियम का निर्माण

कन्सोर्टियम में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सहकारी समितियों, सिद्धहस्त बुनकरों, निजी उद्यमियों,गैर सरकारी संगठनों आदि से स्टेक हॉल्डर शामिल होंगे जिन्हें बुनकरों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होगी और संबंधित संगठनों जैसे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, विपणन संस्थाओं/विपणन विशेषज्ञों, विपणन कर्त्ताओं, कानूनी विशेषज्ञों, सरकारी मशीनरियों, बुनकरों आदि के साथ संपर्क स्थापित करना होगा । प्रति समूह 50,000/ रू. की एकमुश्त सहायता बैठकों के आयोजन, स्टेशनरी की खरीद, क्षेत्र के दौरे, व्यापार एवं जागरूकता प्रशिक्षण, कन्सोर्टियम को शामिल करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों को बहाल करने और व्यापार के विकास के लिए अन्य पेशेवरों को कार्य पर रखने के लिए व्यय को पूरा करने के वास्ते इस संघटक के तहत दिया जाएगा । यह 100% केंद्रीय अनुदान के रूप में एक समूह को एक बार दिया जाएगा । अंततोगत्वा कन्सोर्टियम तीसरे वर्ष में अथवा उसके बाद समूह के क्रियाकलापों को अपने हाथ में लेगा और उसके बाद स्वयं सतत आधार पर इसे चलाएगा ।

(क.3.3) यार्न भंडारों की स्थापना के लिए कॉरपस निधि

वर्तमान में बुनकर/एजेंसी को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) को यार्न की खरीद के लिए अग्रिम राशि का भुगतान करना होता है और यार्न की डिलिवरी एनएचडीसी द्वारा लगभग 3-4 सप्ताहों की समय सीमा में किया जाता है । इससे उत्पादन की प्रक्रिया में विलंब होता है । इसप्रकार एक माह में 300-500 करघों के लिए अपेक्षित काउंट के यार्न की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, 3.00 लाख रू. की एक मुश्त सहायता एनएचडीसी को कॉरपस निधि के रूप में प्रदान की जाएगी जो इसे समूह में यार्न भंडार के माध्यम से बुनकरों को यार्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बना सके । यार्न की आपूर्ति यार्न भंडारों द्वारा बुनकरों को भुगतान की तुलना में की जाएगी।

(क.3.4) डिजाइन विकास एवं उत्पाद विविधीकरण

कंप्यूटर साहायित वस्त्र डिजाइन (सीएटीडी) प्रणाली की खरीद, रंगपूर्वानुमान, प्रवृत्ति पूर्वानुमान और अन्य संबद्ध आवश्यकताओं के लिए 3.00 लाख रू. की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी जिसका बंटवारा समान रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार/लाभार्थी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा । 6.00 लाख रू. की सहायता 3 वर्षों की अवधि के लिए एक सुयोग्य डिजाइनर की नियुक्ति के लिए दी जाएगी । डिजाइनर की नियुक्ति के लिए संपूर्ण सहायता का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(क.3.5) साझा सुविधा केंद्र/डाई हाऊस

एकमुश्त सहायता साझा सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए उपलब्ध होगा जिसमें जल आशोधन संयंत्र, बहिस्राव आशोधन संयंत्र, करधा पूर्व और करघा पश्चात क्रियाकलाप, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, प्रदर्शन हॉल/समिति कक्ष/साझा कार्यगृह शामिल होगा । तथापि, आवश्यकता पड़ने पर सीएफसी के भाग के रूप में डाई हाउस सार्वजनिक निजी भागीदारी रूप में विकसित किया जाएगा जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि इसका 20% लागत राज्य/उद्यमी/एजेंसी/कन्सोंटियम द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 80% राशि केंद्रीय अनुदान के रूप में दी जाएगी । मौजूदा रंजनगृह के उन्नयन के लिए सहायता पर भी विचार किया जा सकता है, यदि यह समझा गया कि नए रंजनगृह के निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

साझा सुविधा केंद्र/डाई हाउस की स्थापना के लिए, एक परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और उसका अनुमोदन उसकी व्यवहार्यता और पड़ोस के क्षेत्र में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं पर विचार करने के बाद विकास आयुक्त, हथकरघा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा । साझा सुविधा केंद्र/डाई हाउसों की स्थापना के लिए कुल सहायता अधिकतम 30.00 लाख रू. होगी । डाई हाउस की स्थापना आवश्यकतानुसार केवल बडे समूहों में की जाएगी ।

(क.3.6) प्रचार एवं विपणन

भारत और विदेश में हथकरघा को प्रदर्शित करने और उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रचार और बाजार विकास के लिए पात्र संगठनों को दिया जाएगा । इसमें विज्ञापन, पुस्तिकाओं की छपाई, कैटलॉग्स, बाजार अनुसंधान, बाजार सर्वेक्षण, क्रेता-विक्रेता बैठक, अन्य समूहों में अनुभव के लिए दौरे, जागरूकता कार्यक्रमों आदि के लिए व्यय शामिल होगा । इन उद्देश्यों से सहायता केंद्र सरकार और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थियों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा । ब्यौरा निम्नलिखितानुसार है:

i) विज्ञापन, पुस्तिकाओं की छपाई, कैटलॉग्स के लिए 3 वर्षों की अवधि में 50,000/- रू. की सहायता केंद्र सरकार और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थियों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा ।
ii) 3 प्रदर्शनियों/मेलाओं के आयोजन/उसमें भाग लेने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 6.00 लाख रू. की सहायता केंद्र सरकार और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थियों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा ।
iii) 6 क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन/उसमें भाग लेने के लिए तीन वर्षों की अवधि में 3.00 लाख रू. की सहायता केंद्र सरकार और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थियों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा ।
iv) बाजार प्रवृत्तियों की सूचना प्राप्त करने के लिए बाजार सवेक्षण/बाजार आसूचना के लिए 1.00 लाख रू. की एकमुश्त सहायता केंद्र सरकार और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थियों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा ।
v) बुनकरों के अन्य समूहों में जागरूकता और अनुभव दौरे के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त प्रदान किए जाने के लिए प्रति समूह 3 वर्षों की अवधि में 3.00 लाख रू. तक की सहायता प्रति बुनकर को 3000 रू. की दर से दी जाएगी ।
vi) 0.25 लाख रू. की एकमुश्त सहायता केंद्र सरकार द्वारा समूह के बेवसाइट को विकसित करने और उसे प्रदर्शित करने के लिए दिया जाएगा ।

प्रचार और विपणन के लिए अधिकतम सहायता कुल परियोजना लागत का 20% से अधिक नहीं होगा ।

(क.3.7) परियोजना प्रबंधन लागत

3 वर्षों तक प्रति समूह 2.40 लाख प्रति वर्ष तक वित्तीय सहायता कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना प्रबंधन लागत पूरा करने के लिए प्रदान किया जाएगा। यदि राज्य सरकार अथवा इसकी संबद्ध कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी है तब प्रति समूह प्रति वर्ष केवल 25000 रू. परियोजना प्रबंधन लागत के रूप में दिया जाएगा ।

300-500 हथकरघा वाले समूहों के लिए वित्तीय सहायता का बंटवारा और संघटकों का सार

क्र. सं.	संघटक	प्रति समूह वित्तीय सहायता	बंटवारा भारत सरकार : राज्य : आईए / लाभानुभोगी
1.	*बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और स्वयं सहायता समूहों का निर्माण	1.25 लाख रू. एक मुश्त	100% भारत सरकार
2.	कन्सोर्टियम का निर्माण	50,000 रू. एक मुश्त	100% भारत सरकार
3.	यार्न भंडारों के लिए कॉरपस निधि	3.00 लाख रू. एक मुश्त	100% भारत सरकार
4.	डिजाइन विकास एवं उत्पाद विविधीकरण	कंप्यूटर साहायित वस्त्र डिजाइन केंद्र (सीएटीडी) की खरीद, रंग पूर्वानुमान, प्रवृति पूर्वानुमान के लिए 3.00 लाख रू. एक मुश्त	50 : 50
		6.00 लाख रू. 3 वर्षों तक **डिजाइनर की नियुक्ति के लिए	100% भारत सरकार
5.	साझा सुविधा केंद्र/डाई हाऊस (कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक)	30.00 लाख रू. एक मुश्त	सीएफसी - 100% भारत सरकार, डाइ हाउस - 80 : 20 भारत सरकार : राज्य/आईए/कंसोर्टिया द्वारा
6.	प्रचार एवं विपणन (कुल परियोजना लागत का अधिकतम 20% तक)	50,000 रू. 3 वर्षों की अवधि के लिए विज्ञापन, पुस्तिका, कैटलॉग के लिए	75 : 25
		6.00 लाख रू. 3 वर्षों की अवधि के लिए तीन मेलों/प्रदर्शनियों के लिए	75 : 25
		3.00 लाख रू. 3 वर्षों की अवधि के लिए छः क्रेता-विक्रेता बैठकों के लिए	75 : 25
		1.00 लाख रू. बाजार सर्वेक्षण/आसूचना के लिए - एक मुश्त	75 : 25
		3.00 लाख रू. 3 वर्षों की अवधि के लिए 3000 रू. प्रति बुनकर की दर से जागरूकता एवं अनुभव दौरे के लिए	100% भारत सरकार
		25,000 रू. बेवसाइट बनाने और उसे प्रदर्शित करने के लिए - एक मुश्त	100% भारत सरकार
7.	*** परियोजना प्रबंधन लागत	2.40 लाख रू. प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों की अवधि के लिए 7.20 लाख	100% भारत सरकार

क्र. सं.	संघटक	प्रति समूह वित्तीय सहायता	बंटवारा भारत सरकार : राज्य : आईए / लाभानुभोगी
		रू.	

टिप्पणी:

(i) * ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसी है, बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और स्वयं सहायता समूहों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और उस प्रयोजन से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी ।

(ii) ** समूह में नियुक्त किए जाने वाले वस्त्र डिजाइनर को कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो । उसे निफ्ट/एनआइडी से स्नातक होना चाहिए । यदि अन्य संस्थानों के डिजाइनरों की नियुक्ति की जानी है तब उसकी नियुक्ति विकास आयुक्त (हथकरघा) की पूर्वानुमति से की जाए और उसका/उसकी बायोडाटा प्रस्ताव के साथ इस कार्यालय को भेजी जाए । जहां तक संभव हो डिजाइनर समूह के आसपास का अथवा उसी राज्य का हो ।

(iii) *** ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार अथवा इसकी संबद्ध कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी है, प्रति वर्ष प्रति समूह केवल 25,000 रू. परियोजना प्रबंधन लागत के रूप में दी जाएगी ।

(क.3.8) समूह में अलग-अलग बुनकरों के लिए सहायता

बेसिक इनपुट्सऔर कार्यशालाओं के निर्माण के लिए अलग-अलग बुनकरो को सहायता भी उस समूह में दिया जाएगा जिनमें 300-500 करघे हैं । तथापि, इन संघटकों को मिलाकर सहायता प्रति समूह 60 लाख रू. की समूह की अधिकतम देय परियोजना लागत का 25% तक होगा । ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(क.3.8.1) बेसिक इनपुट्स

क) कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन धन

मार्जिन धन के लिए सहायता स्वयं सहायता समूहों और समितियों में संगठित बुनकरों को प्रति बुनकर 6,000.00 रू. की दर से दी जाएगी । 70% सहायता केंद्र सरकार द्वारा, 20% राज्य सरकार द्वारा और शेष 10% कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा बांटा जाएगा ।

ख) नए करघे

नए करघे की खरीद के लिए सहायता स्वयं सहायता समूहों और समितियों में संगठित बुनकरों को प्रति बुनकर 4,000.00 रू. की दर से दी जाएगी । 70% सहायता केंद्र सरकार द्वारा, 20% राज्य सरकार द्वारा और शेष 10% कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा बांटा जाएगा ।

ग) डॉबी

डॉबी की खरीद के लिए सहायता स्वयं सहायता समूहों और समितियों में संगठित बुनकरों को प्रति बुनकर 4,000.00 रू. की दर से दी जाएगी । 70% सहायता केंद्र सरकार द्वारा, 20% राज्य सरकार द्वारा और शेष 10% कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा बांटा जाएगा ।

घ) जेकॉर्ड

जेकॉर्ड की खरीद के लिए सहायता स्वयं सहायता समूहों और समितियों में संगठित बुनकरों को प्रति बुनकर 6,000.00 रू. की दर से दी जाएगी । 70% सहायता केंद्र सरकार द्वारा, 20% राज्य सरकार द्वारा और शेष 10% कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा बांटा जाएगा ।

ड.) एक्सेसरीज

एक्सेसरीज की खरीद के लिए सहायता स्वयं सहायता समूहों और समितियों में संगठित बुनकरों को प्रति बुनकर 2,000.00 रू. की दर से दी जाएगी । 70% सहायता केंद्र सरकार द्वारा, 20% राज्य सरकार द्वारा और शेष 10% कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा बांटा जाएगा ।

टिप्पणी : **पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यो, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, छतीसगढ और झारखंड के लिए बेसिक इनपुट् संघटकों के वास्ते बंटवारा का पैटर्न केंद्र सरकार द्वारा 90%, राज्य सरकार द्वारा 5% और कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा 5% होगा ।**

प्रस्तावों की सिफारिश बुनकरों की वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद ही किया जाएगा । एक समूह में बेशी इनपुट्स की आवश्यकता दर्शाते हुए एक प्रपत्र **अनुबंध- क-2** में दिया गया है ।

(क3.8.2) कार्यशाला का निर्माण

कार्याशालाओं के निर्माण के लिए सहायता निम्नलिखितानुसार दी जाएगी:

संघटक	**प्रति इकाई क्षेत्र**	**सहायता की राशि**
कार्यशाला का निर्माण	20 वर्ग मी.	25,000/- रू.

जबकि केंद्रीय सहायता उपर्युक्त स्तर तक सीमित होगी, फिर भी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/कार्यान्वयन एजेंसियों/लाभार्थी अपने निजी अंशदान अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से अतिरिक्त लागत यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

इस संघटक के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के बुनकरों को वरीयता दी जाएगी । भवनों के निर्माण के लिए, बुनकर ग्रामीण विकास मंत्रालय की इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं जबकि कार्यशाला

के लिए सहायता उनके द्वारा इस योजना के तहत प्राप्त की जा सकती है । बीपीएल के अलावा बुनकरों पर विचार बीपीएल के तहत आने वाले बुनकरों को यथासंभव शामिल किए जाने बाद ही किया जाएगा । 25000 रू. की संपूर्ण सहायता बुनकरों के बीपीएल के तहत आने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा जबकि उन बुनकरों जो बीपीएल के तहत नहीं आ रहे हैं को केंद्र सरकार द्वारा 75% की सीमा तक अर्थात 18,750 रू. की सहायता दी जाएगी और शेष राशि का वहन राज्य सरकार/लाभार्थी द्वारा किया जाएगा । इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि जमीन का हक बुनकर के नाम से है, प्रस्तुत किया जाना होगा ।

(क.3.8.3) कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण हथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए उन्हें बदलती हुई बाजार प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए उन्नत गुणवत्ता वाले विविधीकृत उत्पादों का उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स है । यह योजना हथकरघा क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों/कामगारों को तकनीकी और प्रबंधकीय कौशलों के उन्नयन से संबंधित मसलों को सुव्यस्थित दृष्टिकोण देती है । 20 प्रशिक्षुओं के प्रति बैच को सहायता दर्शाए गए निम्नलिखित विषयों और कार्यक्रमों में उनमें से प्रत्येक के लिए 100% केंद्रीय अनुदान होगी :

(क) बुनाई - प्रति बैच 3,00,000/- रू. की दर से
(ख) डाइंग - प्रति बैच 1,00,000/- रू. की दर से
(ग) डिजाइन - प्रति बैच 50,000/- रू. की दर से
(घ) एसएचजी/प्राथमिक बुनकर सहाकारी समिति/कंसोर्टियम आदि के प्रबंधकीय स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए प्रबंधकीय कार्यशाला - प्रति बैच 25,000/- रू. की दर से (50 प्रशिक्षु) ।

कौशल उन्नयन के लिए दिशा निर्देश परिशिष्ट में दिए गए हैं । कौशल उन्नयन के लिए अधिकतम सहायता कुल परियोजना लागत का 15% से अधिक नहीं होगा । समूह में बुनकरों/कामगारों का कौशल उन्नयन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।

300-500 हथकरघा वाले समूहों के लिए वित्तीय सहायता का बंटवारा और संघटकों का सार

क्र. सं.	संघटक	प्रति समूह वित्तीय सहायता	बंटवारा भारत सरकार : राज्य : आईए / लाभानुभोगी
(क)	बेसिक इनपुट्स	मार्जिन धन के लिए 6,000/- रू. - एक मुश्त	70 : 20 : 10
		नए करघे के लिए 8,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		डॉबी के लिए 4,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		जेकॉर्ड के लिए 6,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		एक्सेसरीज के लिए 2,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
(ख)	कार्यशाला का निर्माण	20 वर्ग मी. वाले कार्यशाला के निर्माण के लिए, 25,000/- रू. तक वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के बुनकरों के लिए दी जाएगी और अन्य बुनकरों के मामले में भारत सरकार का केवल 25,000/- रू. का 75% अर्थात 18,750/- रू. देगी ।	शेष राशि राज्य सरकार/लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा
(ग)	कौशल उन्नयन (कुल परियोजना लागत का अधिकतम 15%)	20 प्रशिक्षुओं के बैच के लिए प्रावधान निम्नलिखित होगा: बुनाई के लिए 3.00 लाख रू., डाइंग के लिए 1.00 लाख रू., डिजाइनिंग के लिए 0.50 लाख रू.,, 50 प्रशिक्षुओं के बैच के लिए प्रबंधकीय प्रशिक्षण के वास्ते 0.25 लाख रू.- एक मुश्त	100 % भारत सरकार

टिप्पणी:

क्रम सं. (क) और (ख) में दिए गए संघटकों के लिए सहायता संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को रिलीज किया जाएगा ।

(क.4) सहायता की मात्रा

सहायता की राशि आवश्यकता आधारित होनी चाहिए जो समूह की आवश्यकता, समूह विकास परियोजना में परिकल्पित क्रियाकलापों के विस्तार, समूह संगठन की तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता, परिपक्वता का स्तर और समूह का विगत निष्पादन आदि पर निर्भर करेगी । प्रत्येक समूह के लिए अधिकतम देय परियोजना लागत 3 वर्षों की परियोजना अवधि (अलग-अलग बुनकरों को सहायता सहित) के लिए प्रति समूमह 60.00 लाख रू. से अधिक नहीं होगा और इसमें केंद्रीय, राज्य और कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी का हिस्सा शामिल होगा ।

(क.5) राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी)

राज्य स्तरीयय परियोजना समिति (एसएलपीसी) की अध्यक्षता हथकरघा व वस्त्र के राज्य आयुक्त/निदेशक करेंगे जिसमें हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन, हथकरघा संगठन (शीर्ष बुनकर सहकारी

समिति अथवा राज्य हथकरघा निगम), प्रमुख निर्यातक, प्रभारी अधिकारी, संबंधित बुनकर सेवा केंद्र और एसएसजी के समूह के बुनकर के प्रतिनिधि शामिल होंगे । एसएलपीसी परियोजना प्रस्तावों की छानबीन करने, कार्य योजना की वैधता की जांच करने, मानिटरिंग, मूल्यांकन आदि के लिए जिम्मेदार होगें और कार्यान्वयन एजेंसी की सिफारिश भी करेंगें ।

(क.6) कार्यान्वयन एजेंसी

राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश, कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात राज्य सरकार के कार्यालय जैसे हथकरघा निदेशालय एवं संबद्ध कार्यालय, राज्य हथकरघा निगम, शीर्ष सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिश और हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा अनुमोदित) से प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक एवं राज्य सरकार के संबद्ध कार्यालय, राज्य हथकरघा निगम, शीर्ष सहकारी समितियों, संगठनों, राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिश और हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा अनुमोदित गैर-सरकारी संगठनों, राष्ट्र स्तरीय हथकरघा संगठनों और केंद्र सरकार के संगठन हैं। एनजीओ की ग्रेडिंग का एक प्रपत्र **अनुबंध -क-4** में दिया गया है । कुल 100 में से कम से कम 60 अंक प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों पर ही विचार किया जाएगा । कार्यान्वयन एजेंसियों को कर्तव्य निम्नलिखित हैं-

(i) समूह विकास कार्यकारी अधिकारी (सीडीई) की पहचान करना,
(ii) सीडीई के प्रशिक्षण के वास्ते राज्य सरकार/राज्य स्तरीय परियोजना समिति के साथ बातचीत करना,
(iii) बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन करना,
(iv) सीडीई द्वारा की गई निदान संबंधी अध्ययन के आधार पर एक परियोजना तैयार करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना का उल्लेख हो और साथ-साथ समूह की आवश्यकता, क्रियाकलाप और प्रत्याशित उत्पादन, परिणाम/सुपुदर्गी योग्य उत्पाद का स्पष्ट उल्लेख हो और इस प्रस्ताव को अनुमोदन के वास्ते एसएलपीसी के समक्ष प्रस्तुत करना।
(v) ऊपर उल्लिखित परियोजना को समय सीमा के भीतर कार्यान्वित करना ।
(vi) समय-समय पर वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना और राज्य सरकार को इसकी पूर्णता रिपोर्ट भी देना ।

(क.7) समूह विकास परियोजना की अवधि

समूह परियोजना की पूर्णता के लिए समय सीमा 3 वर्ष है ।

(क.8) प्रस्तावों की प्रस्तुति और वित्तीय सहायता की रिलीज

(क.8.1) बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव

प्रत्येक समूह का विकास परियोजना रूप में केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के तौर पर राज्य सरकारों अथवा इसके कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से शुरू किया जाएगा । राज्य सरकार एक समूह का बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन (जिसका उल्लेख पैरा क.2.2 में किया गया है) करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (पैरा क.6 देखें) से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी जिसकी छानबीन और सिफारिश एसएलपीसी द्वारा विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय को की जाएगी । विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय अभिज्ञात हथकरघा समूहों के बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन करने के लिए 50% राशि स्वीकृत करेगा । शेष 50% बेस लाइन सर्वेक्षण व निदान संबंधी अध्ययन रिपोर्ट और कार्य योजना (इसके पश्चात, परियोजना रिपोर्ट के रूप में इसका उल्लेख किया जाएगा) जिसकी विधिवत सिफारिश एसएलपीसी द्वारा की गई हो, बेस लाइन सर्वेक्षण व निदान संबंधी अध्ययन के लिए जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), लेखा परीक्षित लेखाओं आदि के प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकार द्वारा आईए को जारी किया जाएगा ।

परियोजना प्रस्तावों जहां समूह का बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन आईए द्वारा पहले ही कर लिया गया है, भी इस योजना के तहत शामिल होंगे ।

(क.8.2) समूह विकास, की परियोजना रिपोर्ट, कार्य योजना की प्रस्तुति और सहायता की रिलीज

निर्धारित प्रपत्र (**अनुबंध - क-3**) में परियोजना रिपोर्ट में बेस लाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन रिपोर्ट और प्रथम वर्ष के लिए एक पुरस्कार योजना और दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए अस्थायी कार्ययोजना होगी । परियोजना रिपोर्ट पर विचार, छानबीन, सत्यापन आदि के लिए संबंधित राज्य आयुक्त/हथकरघा निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी) द्वारा की जाएगी । केवल उन्हीं प्रस्तावों की सिफारिश एसएलपीसी द्वारा की जाएगी जो समूह में बुनकरों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए व्यवहार्य एवं लाभकारी पायी जाएगी । राज्य सरकार इस प्रकार के परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन के वास्ते हथकरघा विकास आयुक्त को भेजेगी। हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा ऐसे प्रस्तावों की उचित छानबीन व अनुमोदन के बाद, वित्तीय सहायता समूह विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को 3 किश्तों में जारी की जाएगी अर्थात पहली किश्त के रूप में 30%, दूसरी किश्त के रूप में 40% और शेष तीसरी किश्त के रूप में । केंद्रीय सहायता की रिलीज आईए को राज्य सरकार के माध्यम से परियोजना में यथा उल्लिखित उपयोगिता प्रमाण पत्रों, लेखा परीक्षित लेखाओं, कार्य योजना के अनुसार वास्तवित प्रगति आदि के प्रस्तुत किए जाने के आधार पर की जाएगी । आईए संबंधित सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुसार रिकार्डों को रखेगा । राज्य सरकार कंपोजित परियोजना रिपोर्ट भेज सकती है जिसमें बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन और समूह विकास कार्य योजना शामिल होगा । ऐसे मामलों में बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन की कुल लागत तथा प्रस्तावित कार्य योजना का 30% लागत प्रथम किश्त के रूप में हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा रिलीज की जा सकती है ।

भाग-ख

(ख) हथकरघा के विकास के लिए सामूहिक नीति

हथकरघा बुनकर जो समूहों द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं, को सामूहिक दृष्टिकोण से लाभ होगा जिसका कार्यान्वयन समान भौगोलिक क्षेत्र अर्थात राजस्व ग्राम, ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक और शहरी क्षेत्रों मे वार्ड जिनमें समान उत्पादन विशेषताएं हैं, में हथकरघा के विकास के लिए परियोजना रूप में कार्यान्वित किया जाएगा । एक समूह में 10 बुनकर अथवा उससे अधिक होने चाहिए जो एसएसजी/प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति/अन्य स्वतंत्र/अलग-अलग बुनकर के रूप में हो सकते हैं । संबंधित राज्य सरकार के हथकरघा निदेशक बुनकरों का बेस लाइन सर्वेक्षण करवाएंगे जिसमें बुनकरों को सहायता की आवश्यकता और इस प्रकार की सहायता से होने वाले सामाजिक-आर्थिक लाभ उल्लेख होगा । इस सर्वेक्षण के आधार पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसके आधार पर इन समूहों को वित्तीय सहायता की सिफारिश एसएलपीसी द्वारा की जाएगी । हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा इसकी उचित छानबीन के बाद व्यवहार्य संघटकों के लिए सहायता जारी की जाएगी । ऐसे बुनकर समूह को सहायता निम्नलिखित संघटक के लिए प्रदान की जाएगी :

1. **बेसिक इनपुट्स:** नए करघे, डाबी, जेकार्ड और एक्सेसरीज जैसे बेसिक इनपुट्स के लिए सहायता अलग-अलग बुनकरों को दी जाएगी । मार्जिन धन के लिए सहायता उन हथकरघा बुनकरों को दी जाएगी जिन्होंने स्वयं के बल पर अथवा प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, स्वयं सहायता समहों अथवा सिद्धहस्त बुनकरों के माध्यम से बैंकों के ऋण संपर्क स्थापित किया है ।
2. प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति के हथकरघा बुनकरों/कामगारों/कंसोर्टिया/स्वयं सहायता समहों/सिद्धहस्त बुनकरों के लिए **बुनाई, डाइंग, डिजाइनिंग एवं प्रबंधकीय विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम** का आयोजन संबंधित बुनकर सेवा केंद्रों द्वारा किया जाएगा । कौशल उन्नयन के दिशा निर्देश परिशिष्ट के रूप में हैं । इस संघटक के लिए वित्तीय सहायता सीधे संबंधित बुनकर सेवा केंद्र को जारी की जाएगी ।

3. **<u>कार्यशालाओं का निर्माण</u>** उन बुनकरों को दी जाएगी जिनके पास करघा रखने के लिए अपना निजी कार्यस्थल नहीं है और जो सिद्धहस्त बुनकर/समिति के करघो पर अन्य स्थान पर कार्य कर रहे हैं । इस संघटक के लिए सहायता राज्य में हथकरघा एवं वस्त्र निदेशालय द्वारा प्रायोजित एसएसजी/सहकारी समिति व अलग-अलग बुनकरों के समूह में कम से कम 10 बुनकरों के समूह को दी जाएगी। कार्यशालाओं के निर्माण के लिए सहायता निम्नलिखितानुसार दी जाएगी :

संघटक	**प्रति इकाई क्षेत्र**	**सहायता की राशि**
कार्यशाला का निर्माण	20 वर्ग. मी.	25,000/-रू.

जबकि केंद्रीय सहायता उपर्युक्त स्तर तक सीमित होगी, फिर भी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/कार्यान्वयन एजेंसियों/लाभार्थी अपने निजी अंशदान अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से अतिरिक्त लागत यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होंगे । इस संघटक के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के बुनकरों को वरीयता दी जाएगी । भवनों के निर्माण के लिए, बुनकर ग्रामीण विकास मंत्रालय की इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं जबकि कार्यशाला के लिए सहायता उनके द्वारा इस योजना के तहत प्राप्त की जा सकती है । बीपीएल के अलावा बुनकरों पर विचार बीपीएल के तहत आने वाले बुनकरों को यथासंभव शामिल किए जाने बाद ही किया जाएगा। 25000 रू. की संपूर्ण सहायता बुनकरों के बीपीएल के तहत आने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा जबकि उन बुनकरों जो बीपीएल के तहत नहीं आ रहे हैं को केंद्र सरकार द्वारा 75% की सीमा तक अर्थात 18,750 रू. की सहायता दी जाएगी और शेष राशि का वहन राज्य सरकार/लाभार्थी द्वारा किया जाएगा ।

4. चयनित समूहों को यार्न, रंजक रसायनों की आपूर्ति के लिए **<u>बैकवार्ड लिंकेज</u>** राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा प्रदान की जाएगी ।
5. हथकरघा समूहों से उत्पादों के विपणन के लिए **<u>फारवार्ड लिंकेज</u>** विभिन्न विपणन कार्यक्रमों जैसे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों, हाटों, राष्ट्रयी एक्सपो, विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना के तहत विशेष एक्सपो और शिल्प मेलों के तहत दिया जाएगा ।
6. **<u>डिजाइन इनपुट्स</u>** बुनकर सेवा केंद्रों द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

(ख.1) विभिन्न संघटकों की मात्रा और हिस्सा निम्नलिखित होगी:

क्र. सं.	**संघटक**	**प्रति बुनकर वित्तीय सहायता**	**बंटवारा भारत सरकार : राज्य : आईए / लाभानुभोगी**
1.	बेसिक इनपुट्स	मार्जिन धन के लिए 6,000/- रू. - एक मुश्त	70 : 20 : 10
		नए करघे के लिए 8,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		डॉबी के लिए 4,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		जेकॉर्ड के लिए 6,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		एक्सेसरीज के लिए 2,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
2.	कौशल उन्नयन	20 प्रशिक्षुओं के बैच के लिए प्रावधान निम्नलिखित होगा: बुनाई के लिए 3.00 लाख रू., डाइंग के लिए 1.00 लाख रू., डिजाइनिंग के लिए 0.50 लाख रू.,, 50 प्रशिक्षुओं के बैच के लिए प्रबंधकीय प्रशिक्षण	100 % भारत सरकार

क्र. सं.	संघटक	प्रति बुनकर वित्तीय सहायता	बंटवारा भारत सरकार : राज्य : आईए / लाभानुभोगी
		के वास्ते 0.25 लाख रू.- एक मुश्त	
3.	+ कार्यशाला का निर्माण	20 वर्ग मी. वाले कार्यशाला के निर्माण के लिए, 25,000/- रू. तक वित्तीय सहायता गरीबी रेखा से नीचे के बुनकरों के लिए दी जाएगी और अन्य बुनकरों के मामले में केवल 25,000/- रू. का 75% अर्थात 18,750/- रू. देगी ।	शेष राशि राज्य सरकार/लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा

+ इस आशय एक प्रमाण पत्र कि जमीन का हक बुनकर के नाम है प्रस्तुत किया जाना होगा ।

<u>टिप्पणी:</u>

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाएगा कि सभी जरूरतमंद बुनकरों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप किसी न किसी प्रकार की सहायता मिले ।

(ii) उपर्युक्त क्रम सं.1 और 3 में दिए गए संघटकों के लिए सहायता संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को दिया जाएगा जबकि उपर्युक्त क्र. स. 2 पर दिए गए संघटक के लिए सहायता सीधे संबंधित बुनकर सेवा केंद्र को रिलीज की जाएगी ।

(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यो, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, छतीसगढ और झारखंड के लिए बेसिक इनपुट् संघटकों के वास्ते बंटवारा का पैटर्न केंद्र सरकार द्वारा 90%, राज्य सरकार द्वारा 5% और लाभार्थी संगठन द्वारा 5% होगा ।

(ख.2) सामूहिक दृष्टिकोण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी

संबंधित राज्य सरकार के हथकरघा सहायक निदेशक **अनुबंध-ख-1** के अनुसार समूह का बेस लाइन सर्वेक्षण करवाएगी । इस सर्वेक्षण के आधार पर इन समूहों में बुनकरों के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता का उल्लेख करते हुए एक संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट उनके द्वारा **अनुबंध ख-2(1), ख-2(2) और ख-2(3)** के साथ-साथ प्रपत्र **ख-1 और ख-2** में बनाया जाएगा । इन्हें जांच और उसे हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय को सिफारिश करने के लिए एसएलपीसी के समक्ष रखा जाएगा ।

(ख.3) सामूहिक परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन और निधियों की रिलीज

भारत सरकार का 75% हिस्सा परियोजना के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम के रूप में रिलीज किया जाएगा और शेष 25% तब जारी किया जाएगा जब जारी की गई केंद्रीय हिस्सा के साथ-साथ राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी का समान हिस्सा जहां लागू हो, का पूरा उपयोग कर लिया गया है, जारी की गई केंद्रीय हिस्सा के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षित लेखाओं, वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट आदि प्रस्तुत कर दिया गया हो । संबंधित हथकरघा सहायक निदेशक हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली को राज्य सरकार के माध्यम से परियोजना के पूरा होने के बाद प्रगति व मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । तथापि, कौशल उन्नयन के लिए वजीफा, पारितोषिक, अन्य प्रशासनिक एवं विविध खर्चें का भुगतान और प्रबंधकीय प्रशिक्षण के लिए

सहायता 100% अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी जबकि यार्न, करघो, करघा सेटिंग शुल्कों, वार्पिंग ड्रम, एक्सेसरीज की खदीद, नमूनो/डिजाइनों का प्रलेखन, शेडो को भाड़े पर लेने, बिजली एवं पानी शुल्कों, टूल किस्ट्स की खरीद के लिए सहायता 75% अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी और शेष 25% उपयोगिता प्रमाण पत्र, इम्पैक्ट रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने बाद रिलीज की जाएगी ।

टिप्पणी : सामूहिक दृष्टिकोण के लिए प्रस्ताव अर्थात समूह से बाहर को प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली एसएलपीसी बैठक के कार्यवृत की एक प्रति के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुबंध ख-2(1), ख-2(2) और ख-2(3) के साथ-साथ अनुबंध ख-1 और ख-2 में दिए गए प्रपत्र में हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

भाग -ग

(ग) हथकरघा संगठनों को वित्तीय सहायता

(ग.1) विपणन प्रोत्साहन (एमआई)

विपणन प्रोत्साहन हथकरघा एजेंसियों को उन स्थितियों को बनाने के लिए दी जाती है जो हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए अनुकूल है । यह अधिकांशत: हथकरघा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में मूल्य के लिए प्रोत्साहन होगा ताकि एक ओर वह मूल्य की कीमत आंशिक रूप से कम करने में सक्षम हो और दूसरी ओर वे अवसंरचना में निवेश कर सके ताकि उत्पादन और उत्पाकदता में सुधार लाया जा सके । यह एजेंसी इस राशि को उन क्रियाकलापों के लिए उपयोग करने की आशा करती है जो हथकरघा समानों की समग्र बिक्री में तेजी लाने के लिए उपभोक्ताओं को आकर्षित करे । विपणन प्रोत्साहन के लिए सहायता राज्य हथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और राष्ट्रीय हथकरघा संगठनों के लिए पात्र होगा । दी जाने वाली सहायता की राशि निम्नलिखितानुसार है:

संघटक	**वित्तीय सहायता(लाख रू.) प्रति बुनकर**	**हिस्सा** **भारत सरकार: राज्य सरकार**
विपणन प्रोत्साहन- हथकरघा निगम, शीर्ष सहकारी समिति, प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति, राष्ट्रीय हथकरघा संगठन	पिछले 3 वर्षों में औसत बिक्री कारोबार का10%	50:50, राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों/समितियों को छोड़कर जहां संपूर्ण सहायता भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

विपणन प्रोत्साहन के दावे **अनुबंध-ग -1** में दिए गए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार को पात्र हथकरघा संगठनों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा । राज्य सरकार **अनुबंध-ग** में दिए गए अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र के साथ समेकित विवरण के साथ-साथ इस कार्यालय को अलग-अलग दावे भेजेगा। विपणन प्रोत्साहन (एमआई) के लिए राज्य हथकरघा संगठनों को सहायता संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी को रिलीज की जाएगी जबकि राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों को सहायता सीधे रिलीज की जाएगी ।

टिप्पणी:

(i) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों/संघों/निगमों को बिक्री प्राथमिक समितियों की वार्षिक बिक्री कारोबार की विपणन प्रोत्साहन के लिए उनके पात्र सहायता का लेखा-जोखा करने के लिए परिकलन करते समय अलग रखी जाएगी। अन्य शब्दों में, प्राथमिक समितियों द्वारा शीर्ष समितियों/संघों को

की गई बिक्री विपणन प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगी क्योंकि शीर्ष समिति/संघ अलग से प्राथमिक समितियों से खरीदारी के बाद अपनी बिक्री पर विपणन प्रोत्साहन के लिए सहायता का दावा करेंगें ।

(ii) किसी हथकरघा एजेंसी द्वारा सरकारी विभागों/एजेंसियों को बिक्री को विपणन प्रोत्साहन के लिए पात्र सहायता का लेखा-जोखा रखने के लिए वार्षिक बिक्री कारोबार का परिकलन करते समय अलग रखा जाएगा ।

(iii) एक हथकरघा एजेंसी द्वारा दूसरे हथकरघा एजेंसी को बिक्री अथवा विलोमत: विपणन प्रोत्साहन के लिए पात्र सहायता का लेखा-जोखा रखने के लिए वार्षिक बिक्री कारोबार का परिकलन करते समय अलग रखा जाएगा ।

(iv) हथकरघा एजेंसी द्वारा आदान-प्रदान प्रणाली के तहत की गई बिक्री विपणन प्रोत्साहन के लिए पात्र सहायता का लेखा-जोखा रखने के लिए वार्षिक बिक्री कारोबार का परिकलन करते समय अलग रखा जाएगा ।

(v) इस आशय का एक प्रमाण पत्र की उपर्युक्त बिन्दुओं अर्थात क्र.सं. 1 से 4 को विपणन प्रोत्साहन के लिए पात्रता का परिकलन करते समय ध्यान में रखा गया है और यह भी कि विपणन प्रोत्साहन का दावा करने के प्रयोजन से परिकलित बिक्री हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय के किसी अन्य योजना के तहत सहायता का दावा करने के लिए परिकलित नहीं की गई है, राज्य सरकार से अपेक्षित होगी ।

(vi) राज्य सरकार से यह भी प्रमाणित करने के लिए अपेक्षित होगा कि वर्ष के लिए किए गए दावे जिसके लिए अनुदान विचाराधीन है, पूर्ण और अंतिम है और यह कि उस वर्ष के लिए राज्य के किसी अन्य संगठन के मामले में कोई और दावे भविष्य में नहीं किए जाएंगें ।

(घ) हथकरघा संगठनों का सुदृढीकरण

इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हथकरघा संगठनों का उन्हें उनकी ऋण सीमा/कार्यशील पूंजी बढ़ाकर अर्थक्षम बनाने के उद्देश्य से वित्तीय पुनर्गठन के लिए सहायता शामिल होगी ।

संघटक	**वित्तीय सहायता(लाख रू.) प्रति बुनकर**	**हिस्सा भारत सरकार: राज्य सरकार**
* **हथकरघा संगठनों का सुदृढीकरण** - हथकरघा निगम, शीर्ष सहकारी समिति, राष्ट्रीय हथकरघा संगठन	प्रस्ताव के अनुसार	50:50

* टिप्पणी: उपर्युक्त संघटक के लिए सहायता केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हथकरघा समहों के लिए लागू होगा और समूह के लिए लागू नहीं होगा । हथकरघा संगठनों के सुदृढीकरण के लिए राज्य हथकरघा संगठनों को सहायता संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को रिलीज की जाएगी।

इस संघटक के लिए सहायता का लाभ लेने के वास्ते संगठनों को सबसे पहले अपनी व्यापार नीतियों को सुदृढ बनाकर और अपने कार्मिकों को युक्तिसंगत बनाकर अपनी व्यवहार्यता में सुधार लाना होगा । भरोसे योग्य परियोजना के रूप में सर्वांगीण सुधार नीति की मंजूरी संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था और राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा की जानी होगी । परियोजना विकास आयुक्त हथक्रघा के कार्यालय द्वारा अनुमोदित किसी स्वतंत्र प्रबंधन परामर्श संगठन द्वारा तैयार की जाएगी । संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान सिद्धांत में इस परियोजना का अनुमोदन करेंगे जिसमें उस संगठन के

सर्वांगीण सुधार के लिए अपेक्षित निधियों का उल्लेख होगा जिससे इस संगठन को गैर-सहकारी क्षेत्र के प्राथमिक समितियों और बुनकरों के विपणन क्रियाकलापों में सहायता करने में मदद मिलेगी ।

इसमें से प्रत्येक परियोजना आवश्यकता आधारित होगी जो संगठन की आवश्यकता पर निर्भर करेगी । इस परियोजना में निश्चित रूप से कार्मिकों की आवश्यकता और प्रशासनिक ढांचे का आकार छोटा करने पर ध्यान दिया जाएगा । किसी भी रूप में कोई सहायता संगठन की स्थापना लागत, वाहनों की खरीद अथवा किसी भवन, ढ़ांचा आदि को पूरा करने के लिए नहीं प्रदान किया जाएगा । राज्य सरकार द्वारा मंजूर पुनरूद्धार प्रस्तावों को सचिव (वस्त्र), भारत सरकार की अध्यक्षता वाली एक समिति के समक्ष रखा जाएगा । इस समिति में विकास आयुक्त (हथकरघा), वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, संबंधित राज्य सरकार और एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे । ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता इस प्रकार के पुनर्गठन के लिए अपेक्षित सीड मनी के लिए केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के आधार पर दी जाएगी ।

भाग - घ

(घ) अभिनव विचारों व प्रचार, मानिटरिंग, पयर्वेक्षण, प्रशिक्षण और योजना के मूल्यांकन के लिए सहायता

(घ.1) अभिनव विचार

इस योजना के लिए आबंटित निधियों को 10% उपयोग अभिनव विचारों के लिए किया जाएगा जो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान उभरेगें और उन्हें अनुमोदन के समय इस योजना में शामिल नहीं किया गया हो।

(घ.2) प्रचार, मानिटरिंग, पयर्वेक्षण, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन

(i) इस योजना के लिए आबंटित बजट का 2% प्रचार, मानिटरिंग, पर्यवेक्षण, हथकरघा विकास आयुक्त और राज्य हथकरघा निदेशालय के तहत कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण, योजना के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

(ii) विकास आयुक्त (हथकरघा) इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन का मानिटर स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों की सहायता से, यदि आवश्यकता हो, करेंगें । समय-समय पर रिपोटिंग, क्षेत्र के दौरे और समीक्षा बैठकों की एक पद्धति का उपयोग इस प्रयोजन से किया जाएगा ।

(iii) संबंधित राज्य सरकार कार्यान्वयन/लाभार्थी एजेंसियों को राज्य सरकार के माध्यम से स्वीकृत कार्यक्रम की समग्र मूल्यांकन और मानिटरिंग के लिए जिम्मेदार होंगे ।

(iv) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आईएचडीएस योजना के तहत और इस कार्यालय की अन्य योजनाओं के तहत भी बाद की रिलीज जारी किए जाने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत हो ।

(v) राज्य सरकार परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे जिसमें बुनकरों को मिलने वाले इसके परिणाम और सामाजिक-आर्थिक लाभ का विस्तार से उल्लेख हो ।

***

भाग-क
सामूहिक नीति

अनुबंध-क-1

निदान संबंधी अध्ययन एवं आधारभूत सर्वेक्षण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के चयन तथा चयनित हथकरघा क्लस्टरों का प्रोफाइल

क. संगठन/कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) का प्रोफाइल :

1.	संगठन का नाम (पूरा पता सहित)	
2.	पंजीकरण सं. तथा पंजीकरण की तारीख	
3.	पदाधिकारियों का नाम तथा पदनाम, फोन नं., फैक्स नं. तथा ई-मेल आदि सहित	
4.	संगठनों में नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या	
5.	पिछले तीन वर्ष के लिए तुलन पत्र तथा लाभ/हानि लेखा (संलग्न)	
6.	वस्त्र/हथकरघा क्षेत्र में अनुभव, यदि कोई हो	
7.	संगठन की उपनियम/संकल्प	
8.	क्लस्टर विकास में पिछला अनुभव	
9.	ग्रेडिंग हेतु पद्धति के अनुसार आई ए (एनजीओ)के अंक	

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन हेतु दिनांक.______________ को कार्यान्वयन एजेंसी की सिफारिश की गई है । बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है ।
2. इस बात का विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ये संगठन भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है ।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी अस्तित्व में है और यह कार्य कर रही है ।
5. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सही हैं ।
6. प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार और राज्य द्वारा विगत में जारी की गई सहायता के संवितरण के संबंध में उपर्युक्त एजेंसी के बारे में कोई शिकायत (शिकायतें) प्राप्त नहीं हुई हैं ।

अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम)

प्रतिहस्ताक्षरित

हथकरघा प्रभारी निदेशक

अनुबंध क-2

क्लस्टर नीति

क्लस्टर के आधारभूत सर्वेक्षण के लिए प्रपत्र..

कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
पंजीकरण सं.
गांव एवं डाकखाना
जिला
राज्य
आईएचडीएस में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित बुनकरों की सं.
अपेक्षित कुल सहायता.

क्र.सं.	बुनकर का नाम	पुरुष	महिला	आयु	निम्नलिखित में शामिल						क्या बुनकर है		क्या करघा है	
					सहकार समितियां	स्व.स.समूह	गै.स.सं.	मास्टर बुनकर	स्वतंत्र	अन्य	करघा सहित	करघा रहित	सक्रिय	बेकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

परिवार की आय	धर्म	जाति	एक वर्ष में कार्यरत दिनों की सं.	करघे के प्रकार	करघों की संख्या	प्रयुक्त यार्न का प्रकार	विनिर्मित उत्पाद	अभ्युक्ति यदि कोई हो
15	16	17	18	19	20	21	22	23

अपेक्षित सहायता का ब्यौरा

मूलभूत निविष्टि संबंधी संघटक					कार्यशाला			कुशलता उन्नयन			
नए करघों की सं.	जैकार्ड की सं.	डॉबी की सं.	सहायक सामग्री	मार्जिन धन	क्या कार्यशाला मौजूद है (हां/नहीं)	क्या बीपीएल/ सामान्य है	क्या कार्यशाला की आवश्यकता है	बुनाई	डाइंग	डिजाइनिंग	प्रबंधकीय
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक का हस्ताक्षर

<u>**अनुबंध-क-3**</u>

क्लस्टर नीति

क्लस्टर विकास हेतु की गई निदान संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट तथा कार्य योजना के लिए प्रपत्र

क्र.सं.	**मापदंड**				
1.	**क्लस्टर/वार्ड/गांव का नाम**				
क्लस्टर का प्रोफाइल					
2.	क्लस्टर की भौगोलिक स्थिति (कलस्टर का मैप संलग्न करें)				
3.	कलस्टर में हथकरघों की कुल संख्या				
4.	कलस्टर में हथकरघों का प्रकार				
5.	उपलब्ध अवसंरचना				
6.	बुनकरों की वर्तमान कुशलता				
7.	हथकरघा बुनकरों की सं.				
		श्रेणी	**पुरूष**	**महिलाएं**	**कुल**
		अनुसूचित जाति			
		अनुसूचित जनजाति			
		अपिव			
		अल्पसंख्यक			
		सामान्य			
		कुल			
8.	बुनकरों की स्थिति	विद्यमानता	शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित		
	क) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की सं.				
	ख) सहकारी समितियों में बुनकरों की सं.				
	ग) मास्टर बुनकरों की सं.				
	घ) मास्टर बुनकरों के साथ बुनकरों की सं.				
	ङ) हथकरघों में कार्यरत एनजीओ की सं.				
	च) एनजीओ के साथ बुनकरों की सं.				
	छ) हथकरघों में कार्यरत एसएचजी की सं.				
	ज) एसएचजी के साथ बुनकरों की सं.				
	झ) व्यापारियों की सं.				
9.	पॉकेट का कारोबार (करोड़ रू. में)	वर्तमान कारोबार	प्रत्याशित कारोबार		
	क) घरेलू				
	ख) निर्यात				
	योग				

10.	बुनकर की प्रतिदिन औसत आय (रू. में)	वर्तमान	प्रत्याशित
11.	एक वर्ष में औसत कार्य दिवसों की सं.	वर्तमान	प्रत्याशित
12.	पाकेट के मुख्य हथकरघा उत्पाद	वर्तमान	प्रत्याशित
13.	पाकेट में विद्युत करघों की सं.		
14.	क्या पाकेट के हथकरघे विद्युतकरघों से प्रतिस्पर्धा करते हैं?		
5 वर्ष पूर्व पाकेट की स्थिति			
15.	अब से पांच वर्ष पूर्व की स्थिति के संबंध में पाकेट की आर्थिक स्थिति		
स्वॉट स्थिति			
16.	क) क्षमता		
	ख) कमजोरी		
	ग) अवसर		
	घ) खतरे		
क्लस्टर की सिफारिश करने का औचित्य			
17.	विकास हेतु क्लस्टर की सिफारिश करने का औचित्य		
कार्यनीति			
18	क) क्लस्टर		
	ख) विकास कार्यनीति का उद्देश्य		
कार्य योजना			
19.	प्रत्येक हस्तक्षेप के लिए वित्तीय परिव्यय के साथ 3 वर्ष की अवधि के दौरान विकास के लिए अपेक्षित हस्तक्षेप (पैरा क 8.2)		
20.	कुल परियोजना लागत	क्र. सं. | संघटक का नाम | राशि (लाख रू.में) | शामिल किए जाने वाले	

			भारत सरकार	राज्य सरकार/ आईए	कुल	
1.	**क्लस्टर विकास:** बेस लाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और एसएचजी का गठन					
2.	कंसर्टियम का गठन					
3.	कुशलता उन्नयन/कार्यक्रम					
4.	डिजाइन विकास	सीएटीडी की खरीद				
		डिजाइनर नियुक्त करना				
5.	सामान्य सुविधा केन्द्र/डाइ हाउस					
6.	प्रचार एवं विपणन					
	(क) प्रचार, पुस्तिका					
	(ख) प्रदर्शनी/मेला					
	(ग) क्रेता-विक्रेता बैठक					
	(घ) बाजार सवेक्षण					
	(ड.) जागरूकता व अनुभव दौरे					
	(च) बेवसाइट बनाना और उसे प्रदर्शित करना					
7.	परियोजना प्रबंधन लागत					
8.	मूलभूत निविष्टियां					
(1)	मार्जिन धन					
(2)	नए करघे					
(3)	जेकार्ड					
(4)	डाबी					
(5)	एक्सेसरीज					

21.	क्लस्टर के लिए प्रस्तावित कार्य योजना	संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट के साथ 3 वर्ष के लिए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए वर्ष-वार कार्य योजना संलग्न किया जाए । कार्य योजना में चयनित समूह के उत्पादन, उत्पादकता,

		रोजगार और हथकरघा बुनकरों की आय में वृद्धि के मामले में परियोजना के डलीवरेवल्स का उल्लेख हो ।

1. लाभानुभोगी ने राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत इसी प्रकार की सहायता का लाभ नहीं उटाया है ।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी मौजूद है और कार्य कर रही है ।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस योजना के तहत सहायता से सृजित परिसंपत्ति को विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के पूर्वानुमति के बिना नहीं बेचा जाएगा ।
4. इस बात का विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ये संगठन भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं ।
5. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है ।
6. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सही हैं और इनका सत्यापन गारंटी एजेंसी के लेखा बुक से की जा सकती है ।
7. प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार और राज्य द्वारा विगत में जारी की गई सहायता के संवितरण के संबंध में उपर्युक्त एजेंसी के बारे में कोई शिकायत (शिकायतें) प्राप्त नहीं हुई हैं ।
8. प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी (एजेंसियों) ने ऋण संपर्क, जहां कहीं अपेक्षित है, हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ।
9. प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी ने अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग बुनकरों के नामों, अपेक्षित संघटकों और उसके लिए अपेक्षित सहायता आदि का उल्लेख करते हुए प्रपत्र क-2 (क्लस्टर का आधारभूत सर्वेक्षण) प्रपत्र में अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और ये ब्यौरे रिकार्डो से सत्यापनीय हैं ।
10. राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा दिनांक ___________को प्रस्ताव की सिफारिश की गई है । बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है ।
11. प्रमाणित किया जाता है कि जमीन का हक बुनकर के नाम से है ।

(हस्ताक्षर)

संगठन का अध्यक्ष/सचिव

प्रति हस्ताक्षरित

(हस्ताक्षर)

हथकरघा एवं वस्त्र प्रभारी निदेशक

अनुबंध- क-4

क्लस्टर नीति

गैर-सरकारी संगठनों की ग्रेडिंग हेतु अंक पद्धति

संगठन का नाम पूरा पता सहित :				
क्र.सं.	**अंक संबंधी मापदंड**	**अधिकतम अंक**	**प्राप्त अंक**	**टिप्पणियां**
1.	औपचारिक पंजीकरण	-		
2.	एनजीओ 3 (तीन) वर्ष से अधिक समय से विद्यमान है	-		
3.	किसी अन्य सरकारी संगठन/विभाग में पंजीकरण	3		
4.	अध्यक्ष/कार्यकारी अधिकारी का प्रोफाइल और फील्ड कर्मचारियों का अनुभव एवं योग्यता	10		
5.	आधारभूत सर्वेक्षण, सामुदायिक संघटन तथा मानीटरिंग एवं मूल्यांकन पद्धति का अनुभव	10		
6.	हथकरघा अथवा किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में क्लस्टर विकास का अनुभव	15		
7.	विपणन, नेटवर्किंग का अनुभव	13		
8.	तकनीकी एवं प्रौद्योगिकीय मार्गदर्शन का अनुभव	5		
9.	हथकरघा क्षेत्र/ग्रामीण विकास में उपलबिधयां	20		
10.	पिछले तीन वर्षो के लेखा परीक्षित लेखा और आयकर विवरणियों को नियमित रूप से दायर करना तथा पैन प्राप्त करना	5		
11.	सरकार द्वारा वित्तपोषण	2		
12.	प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अनुभव	5		
13.	बोर्ड/स्टाफ में महिलाओं/अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यकों की भागीदारी	7		
14.	कर्मचारियों का प्रशिक्षण	5		
	योग	**100**		
	दिए गए कुल अंक			
	योग्य/अयोग्य			

हथकरघा एवं वस्त्र प्रभारी निदेशक के हस्ताक्षर

टिप्पणी : आवश्यक दस्तावेज उपर्युक्त मांनदडों के समर्थन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा इसे कोई अंक नहीं दिया जाएगा ।

अनुबंध-ख-1

सामूहिक नीति

समूह के आधारभूत सर्वेक्षण के लिए प्रपत्र..

कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
पंजीकरण सं.
गांव एवं डाकखाना
जिला
राज्य
आईएचडीएस में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित बुनकरों की सं.
अपेक्षित कुल सहायता.

क्र.सं.	बुनकर का नाम	पुरुष	महिला	आयु	निम्नलिखित में शामिल						क्या बुनकर है		क्या करघा है	
					सहकार समितियां	स्व.स.समूह	गै.स.सं.	मास्टर बुनकर	स्वतंत्र	अन्य	करघा सहित	करघा रहित	सक्रिय	बेकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

परिवार की आय	धर्म	जाति	एक वर्ष में कार्यरत दिनों की सं.	करघे के प्रकार	करघों की संख्या	प्रयुक्त यार्न का प्रकार	विनिर्मित उत्पाद	अभ्युक्ति यदि कोई हो
15	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**

अपेक्षित सहायता का ब्यौरा

मूलभूत निविष्टि संबंधी संघटक					कार्यशाला			कुशलता उन्नयन			
नए करघों की सं.	जैकार्ड की सं.	डॉबी की सं.	सहायक सामग्री	मार्जिन धन	क्या कार्यशाला मौजूद है (हां/नहीं)	क्या बीपीएल/ सामान्य है	क्या कार्यशाला की आवश्यकता है	बुनाई	डाइंग	डिजाइनिंग	प्रबंधकीय
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक का हस्ताक्षर

अनुबंध-ख-2

सामूहिक नीति

एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत सामूहिक नीति हेतु परियोजना प्रस्ताव

परियोजना सारांश

1. संगठन का पूरा नाम व पता :

2.	गांव/वार्ड का नाम:
3.	गांव/वार्ड में बुनकरों की कुल सं. सं.
	(क) सहकारी समितियों में
	(ख) हथकरघा शीर्षस्थ निकायों/निगम में
	(ग) एचएसजी में
	(घ) एनजीओ में
	(ङ) मास्टर बुनकरों में
	(च) निर्यातकों में
	(छ) स्वतंत्र
4.	करघा रहित बुनकरों की कुल सं.
5.	करघा सहित बुनकरों की कुल सं. (क) सक्रिय
	(ख) बेकार

6. परियोजना में संघटक-वार शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित बुनकरों की कुल सं.

बुनकरों की श्रेणी	पुरूष	महिला	मूलभूत निविष्टि	कार्यशाला	प्रशिक्षण	बुनकरों की कुल सं.
अ.ज.जा. के बनुकर						
अ.जा. के बनुकर						
महिला बुनकर						
अल्पसंख्यक बुनकर						
अन्य						

7.	पॉकेट का कारोबार (करोड़ रू. में)	वर्तमान कारोबार	प्रत्याशित कारोबार
	क) घरेलू		
	ख) निर्यात		
	योग		
8.	बुनकर की प्रतिदिन औसत आय (रू. में)	वर्तमान	प्रत्याशित
9.	एक वर्ष में औसत कार्य दिवसों की सं.	वर्तमान	प्रत्याशित
10.	पाकेट के मुख्य हथकरघा उत्पाद	वर्तमान	प्रत्याशित
11.	परियोजना प्रस्ताव में उद्देश्य, शामिल किए जाने वाले बुनकरों की संख्या, मांगी गई संघटक वार सहायता की लिए औचित्य, सामाजिक-आर्थिक लाभ, परियोजना की अवधि, कुल परियोजना लागत, लागत का बंटवारा, ऋण के लिए बैंकों के साथ समझौता, जहां भी आवश्यक हो आदि होना चाहिए । कार्य योजना में चयनित समूह के उत्पादन, उत्पादकता, रोजगार और हथकरघा बुनकरों की आय में वृद्धि के मामले में परियोजना के डलीवरेवल्स का उल्लेख हो ।		

अनुबंध-ख-2(1), ख-2(2), ख-2(3) में समर्थकारी दस्तावेजों के ब्यौरे संलग्न हैं ।

संगठन के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

हथकरघा एवं वस्त्र प्रभारी निदेशक

मोहर

हथकरघा निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी ने प्रपत्र ख-2 में ___________वार्ड/गांव के बुनकर समूह के संबंध में वास्तवित एवं वित्तीय लक्ष्यों के ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और यह कि ये ब्यौरे रिकार्डों से सत्यापनीय हैं ।

2. दिनांक _________ के स्वीकृत आदेश सं. ________ के तहत राज्य की भागीदारी की पूर्ति हेतु आवश्यक बजट प्रावधान पहले ही किया जा चुका है । राज्य के स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है ।

3. प्रमाणित किया जाता है कि संघटकों के लिए सहायता अनुदान के लिए अब प्रस्तावित लाभानुभोगियों ने किसी अन्य योजना के अंतर्गत पूर्व में इसी संघटक (कों) का लाभ नहीं उठाया है ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस योजना के तहत सहायता से सृजित परिसंपत्ति को विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के पूर्वानुमति के बिना नहीं बेचा जाएगा ।

5. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है ।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी मौजूद है और कार्य कर रही है ।

7. प्रमाणित किया जाता है कि आईए ने प्रपत्र -------------- में -------------- गांव/वार्ड के बुनकरों के समूह के संबंध में वास्तविक और वित्तीय आवश्यकताओं का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है और इसे राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा दिनांक __________________ को आयोजित बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है । कार्यवृत की एक प्रति संलग्न है ।

(हस्ताक्षर)
हथकरघा प्रभारी निदेशक
(मोहर)

अनुबंध-ख -2(1).

सामूहिक नीति.

मूलभूत निविष्टि

ब्यौरा									*वित्तपोषण का ब्यौरा* (*लाख रू. में*)				
क्र. सं..	संघटक	बुनकरों की सं.							केन्द्र	राज्य	का.एजेंसी/ लाभानुभोगी	बैंक से ऋण	कुल परिव्यय (अनुदान + बैंक से ऋण)
		अ.जा.	अ.ज.जा.	महिलाएं	अ.पि.व.	अल्पसंख्यक	अन्य	योग					
1.	मार्जिन मनी												
2.	करघों की खरीद												
3.	जैकार्ड/करघा पुर्जों की खरीद												
4.	सहायक सामग्री की खरीद												
	योग												

(हस्ताक्षर)

संगठन के अध्यक्ष /सचिव
मोहर

प्रतिहस्ताक्षरित
हथकरघा एवं वस्त्र प्रभारी निदेशक

रबर मोहर सहित

अनुबंध-ख-2(2).

सामूहिक दृष्टिकोण

हथकरघा बुनकरों के प्रशिक्षण हेतु आवेदन-प्रपत्र

1.		प्रशिक्षण का विषय (संबंधित विषय को चिन्ह्ति करें)	क. ख. ग. घ.	बुनाई डिजाइन विकास रंजक तकनीकें प्रबंधकीय प्रशिक्षण
2.	क.	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम तथा पूरा पता (दूरभाष/फैक्स/ई-मेल पते आदि सहित)		
	ख	संगठन/समिति में पंजीकृत सदस्यों की संख्या		
3.	क.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य (संबंधित उद्देश्य को चिन्ह्ति करें)	क. ख. ग. घ. ङ च. छ	नए डिजाइनों का प्रयोग शुरू करना उत्पाद विविधीकरण उत्पाद विकास गुणवत्ता सुधार पारंपरिक/मृतपाय शिल्प का पुनरूद्धार रंगाई की विधियों में सुधार अन्य कोई उद्देश्य (स्पष्ट करें)
	ख	लक्ष्य समूह		
	ग.	प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अभिज्ञात हथकरघा समूह/पॉकेट का नाम		
	घ.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान		
	ड.	प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित तिथियां		
	च.	प्रशिक्षित किए जाने वाले बुनकरों की संख्या:- i) एजेंसी के सदस्य ii) एजेंसी के सदस्यों को छोडकर		
	छ.	प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित बुनकरों के नाम व उनकी आयु, लिंग व जाति (अजा/अजजा/अपिव/सामान्य) (कृपया अनुबंध में ब्यौरा संलग्न करें)		(see table below)
4.		प्रशिक्षण के दौरान उपर्युक्त तकनीक से उत्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पाद (कृपया अनुबंध के रूप में संलग्न करें)		

श्रेणी	पुरुष	स्त्रियां	**कुल**
अ.जा			
अ.ज.जा.			
अ.पि.व.			
अल्पसंख्यक			
सामान्य			
कुल			

5.		कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों एवं विषय के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए अपेक्षित वित्तीय-सहायता (कृपया घटकवार ब्यौरा अलग से कागज पर लिखकर संलग्न करें)	

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस योजना के तहत सहायता से सृजित परिसंपत्ति को विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के पूर्वानुमति के बिना नहीं बेचा जाएगा ।

कार्यान्वयन एजेंसी के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

परिशिष्ट

कार्यकुशलता उन्नयन/प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दिशा-निर्देश

हथकरघा बुनकरों/रंगरेजों को उनकी कार्यकुशलता के उन्नयन हेतु बुनाई, डिजाइन विकास, रंगाई तथा प्रबंधकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बाजार के नवीनतम रूझानों के अनुरूप विविध प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर सकें ।

वीविंग में प्रशिक्षण

प्रत्येक कार्यक्रम हेतु बैच का आकार: 20 प्रशिक्षु
प्रशिक्षण की अवधि : 2 माह

क्र. सं.	संघटक	11वीं योजना के दौरान आईएचडीएस के प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत धनराशि का प्रावधान (रूपए में)
1	20 बुनकरों को वजीफा	**90,000** 60 दिन के लिए 75/- रूपए प्रति दिन की दर से
2.	मास्टर ट्रेनर को 2 माह का पारिश्रमिक	**9,000** 2 माह के लिए 4500/- रूपए प्रति माह की दर से
3.	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु मास्टर ट्रेनर को पारिश्रमिक	**2,250** 15 दिन के लिए. 150/- रूपए प्रति दिवस की दर से
4.	वार्पिंग ड्रम की लागत	**16,000**
5.	करघों तथा जुड़नार(डॉबी/जैकार्ड/संयोजन) की लागत 8,000 रूपए + 20 प्रशिक्षुओं तथा 10 करघों के लिए 4,000	**1,20,000**
6.	कच्चा माल	**24,000 (कपास हेतु)** (रेशमी/ऊनी यार्न 3,000/- प्रति प्रशिक्षु की दर से, सूती यार्न 1200/- रूपए प्रति प्रशिक्षु की दर से, पटसन/पोलिएस्टर यार्न 1000/-प्रति प्रशिक्षु की दर से, यदि प्रशिक्षण में ऊपर उल्लिखित रेशों में से एकाधिक का प्रयोग किया जाता हो, तो इसे 2000/- रूपए प्रति प्रशिक्षु तक सीमित रखा जाए)
7.	लूम सेटिंग प्रभार, आधारभूत निविष्टियों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकतम 10 करघों के अध्यधीन	**2,000**
8.	नमूनों का प्रलेखन	**3,000**
	कुल	**2,66,250**
9.	प्रशासनिक एवं विविध व्यय कुल लागत का 5%	**13,000**
	कुल **कुल किट**	**2,79,250** **जमा 21,000** **3,00,250** **पूर्णांकित 3,00,000**

- सभी श्रेणियों के कुशल तथा अर्धकुशल बुनकर एक बार में 20 के बैच में ।

- प्रशिक्षण देने हेतु शेड किराए पर लेने का प्रावधान, यदि बुनकर सेवा केन्द्र परिसर में आयोजित है तो शुन्य, यदि सरकारी संस्थान में आयोजित है तो 2000/-रूपए प्रति माह और निजी शेडों के लिए 3000/-रू. प्रति माह

<u>डिजाइन विकास में प्रशिक्षण</u>

प्रत्येक कार्यक्रम हेतु बैच का आकार: 20 प्रशिक्षु
प्रशिक्षण की अवधि : 15 दिन

क्र.सं.	संघटक	11वीं योजना के दौरान आईएचडीएस के प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत धनराशि का प्रावधान (रूपए में)
1	20 बुनकरों हेतु वजीफा	**22,500** 15 दिन के लिए 75/- रूपए प्रति दिन की दर से
2.	मास्टर ट्रेनर को 15 दिनों का पारिश्रमिक	**2,250** 15 दिन के लिए 4500/- की दर से
3.	मास्टर ट्रेनर को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु पारिश्रमिक	**-**
4.	कच्चा माल	**18,000** 20 प्रशिक्षुओं के लिए प्रत्येक पांच प्रशिक्षु 4500/- रूपए की दर से
5.	डिजाइनों का प्रलेखन	**3,000**
6.	शेड किराए पर लेना, विद्युत एवं जल प्रभार	**2,000** (यदि प्रशिक्षण बुनकर सेवा केन्द्र में आयोजित है, तो शून्य; यदि प्रशिक्षण सरकारी संस्थान में आयोजित है तो 2000/- रूपए प्रति माह; यदि प्रशिक्षण निजी शेड में आयोजित है, तो 3000/- प्रति माह । इसके अलावा विद्युत एवं जल प्रभार की वास्तविक प्रतिपूर्ति अधिकतम 1000/- रूपए के अध्यधीन)
	कुल	**47,750**
7.	प्रशासनिक एवं विविध व्यय कुल लागत का 5%	**2,388**
	कुल **शेड किराए पर लेना**	**50,138** **50,000 तक पूर्णांकित**

- सभी श्रेणियों के कुशल तथा अर्धकुशल बुनकर एक बार में 20 के बैच में ।
- प्रशिक्षण देने हेतु शेड किराए पर लेने का प्रावधान, यदि बुनकर सेवा केन्द्र परिसर में आयोजित है तो शून्य, यदि सरकारी संस्थान में आयोजित है तो 2000/-रूपए प्रति माह और निजी शेडों के लिए 3000/-रू. प्रति माह

<u>रंगाई में प्रशिक्षण</u>

प्रत्येक कार्यक्रम हेतु बैच का आकार: 20 प्रशिक्षु
प्रशिक्षण की अवधि : 15 दिन

क्र.सं.	संघटक	11वीं योजना के दौरान आईएचडीएस के प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत धनराशि का प्रावधान (रूपए में)
1	20 बुनकरों हेतु वजीफा	**22,500** 15 दिन के लिए 75/- रूपए प्रतिदिन की दर से
2.	मास्टर ट्रेनर को 15 दिनों का पारिश्रमिक	**2,250**
3.	मास्टर ट्रेनर को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु पारिश्रमिक	**750** **5 दिन के लिए 150/- रू. की दर से**
4.	कच्चा माल	**64,000** 20 प्रशिक्षुओं के लिए 3200/- की दर से
5.	डिजाइनों का प्रलेखन	**3,000**
6.	शेड किराए पर लेना, विद्युत एवं जल प्रभार	**2,000** (यदि प्रशिक्षण बुनकर सेवा केन्द्र में आयोजित है, तो शून्य; यदि प्रशिक्षण सरकारी संस्थान में आयोजित है तो 2000/- रूपए प्रति माह; यदि प्रशिक्षण निजी शेड में आयोजित है, तो 3000/- प्रति माह । इसके अलावा विद्युत एवं जल प्रभार की वास्तविक प्रतिपूर्ति अधिकतम 1000/- रूपए के अध्यधीन)
	कुल योग	**94,500**
7.	प्रशासनिक एवं विविध व्यय कुल लागत का 5%	**4725**
	कुल **शेड किराए पर लेना**	**99,225** **1,00,000 तक पूर्णांकित**

- सभी श्रेणियों के कुशल तथा अर्धकुशल बुनकर एक बार में 20 के बैच में ।
- मास्टर ट्रेनर को बुनकर सेवा केन्द्र में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना होगा ।
- प्रशिक्षण देने हेतु शेड किराए पर लेने का प्रावधान, यदि बुनकर सेवा केन्द्र परिसर में आयोजित है तो शून्य, यदि सरकारी संस्थान में आयोजित है तो 2000/-रूपए प्रति माह और निजी शेडों के लिए 3000/-रू. प्रति माह

<u>हथकरघा क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रबंधकीय प्रशिक्षण</u>

- सहकारी समितियों/हथकरघा संगठनों के प्रबंधन में कार्य में संलग्न व्यक्तियों को एक बार में 50 के बैच में मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रबंधकीय विषयों के संबंध में 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रत्येक कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता 25,000/- रूपए की राशि तक सीमित रहेगी ।

<u>परियोजना में खरीदी गई वस्तुओं का निपटान</u>

पयिोजना में खरीदी गई वस्तुएं (जैसे करघे, डॉबी, जैकार्ड, सहायक सामग्री) प्रशिक्षुओं को घटे हुए लागत पर सौप दी जाएगी और टूल किट हेतु सहायता में समायोजित कर ली जाएगी । यदि प्रशिक्षुओं को ऐसे करघों आदि

की जरूरत न हो तो इन्हें नजदीकी समूह के सीएफसी में प्रशिक्षण देने हेतु स्थायी संरचना के रूप में स्थानांतरित कर दिया जाए ।

<u>प्रशिक्षुओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निपटान</u>

प्रशिक्षण की प्रक्रिया के दौरान विकसित उत्पाद प्रशिक्षुओं द्वारा हासिल दक्षता के स्तर को प्रदर्शित करेंगे । यदि विकसित किए गए उत्पाद विपणन योग्य हों तो इस स्कीम का उद्देश्य भी साध्य हो जाएगा ।

आयोजित प्रशिक्षण के दौरान विकसित उत्पादों के निपटान का दायित्व कार्यान्वयन एजेंसी (डब्ल्यूएससी) का होगा । तथापि प्रशिक्षण के दौरान विकसित उत्पादों को खरीदने के लिए प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जाएगी । यदि प्रशिक्षुओं द्वारा कोई विशेष उत्पाद विकसित किए गए हों, तो आवश्यकतानुसार डब्ल्यूएससी द्वारा उन्हें रख लिया जाएगा ।

प्रत्येक वस्तु की न्यूनतम कीमत कच्चे माल की लागत और ऊपरी लागत के आधार पर निर्धारित की जाएगी । आधारभूत लागत कार्यान्वयन एजेंसी (डब्ल्यूएससी) द्वारा ज्ञात की जाएगी, जो प्राप्त राजस्व को भारत की समेकित निधि में जमा कराएगी ।

<u>डिजाइनों का प्रलेखन</u>

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि के दौरान विकसित सभी डिजाइनों के तीन सैट बनाए जाएंगे । एक सैट हार्ड कवर में कार्यान्वयन एजेंसी (डब्ल्यू एस सी) की डिजाइन लाइब्रेरी में प्रलेखन तथा स्थायी संदर्भ हेतु रख लिया जाएगा । दूसरा सैट प्रशिक्षुओं को उनके उपयोग हेतु दे दिया जाएगा और तीसरा सैट विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय को भिजवाया जाएगा, जिसे किसी केन्द्रीय संस्थान जैसे एनसीटीडी, एनएचएचएम आदि में रखा जाएगा । प्रलेखन में सोर्स पेपर डिजाइन संबंधी सूचना, कपड़े के नमूने, निर्माण संबंधी विवरण के विश्लेषण, डिजाइन अवधारणा, प्रत्येक डिजाइन के लागत मूल्य का ब्यौरा शामिल किया जाएगा ।

प्रलेखन के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 3000/- रूपए तक सीमित रखी जानी चाहिए ।

<u>कार्यान्वयन एजेंसी</u>

हथकरघा समूह के बाहर के प्रशिक्षण हेतु कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र है । जबकि समूह हेतु प्रशिक्षण एजेंसी का निर्णय उस समूह की कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लिया जाएगा ।

अनुबंध-ख-2(3).

सामूहिक दृष्टिकोण

एकीकृत हथकरघा विकास योजना के कार्यशाला घटक के अंतर्गत सहायता के दावे हेतु प्रभारी निदेशक, हथकरघा द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र

क्र. सं.	पात्र हथकरघा एजेंसी का नाम व पता तथा पंजीकरण सं.	लाभानुभोगियों की संख्या												बुनकर की श्रेणी		स्वीकृत की जाने वाली सब्सिडी की राशि			अभ्युक्ति
		सामान्य		अजा		अजजा		अपिव		अल्प संख्यक		योग		बीपीएल	नॉन बीपीएल	बीपी एल	नॉन बीपी एल	योग	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला						

प्रमाणित किया जाता है कि

1. भूमि का हक बुनकरों के नाम पर है ।
2. लाभानुभोगी ने राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत इस प्रकार की सहायता का लाभ नहीं उठाया है ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस योजना के तहत सहायता से सृजित परिसंपत्ति को नहीं बेचा जाएगा अथवा उसे किराए पर नहीं लगाया जाएगा ।
4. राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा इस प्रस्ताव की सिफारिश दिनांक _________ को आयोजित इसकी बैठक में कर दी गई है ।बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है ।
5. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ये संगठन भ्रष्ट पद्धतियों में लिप्त हैं ।
6. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है ।
7. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी मौजूद है और कार्य कर रही है ।

हथकरघा के प्रभारी निदेशक का हस्ताक्षर

अनुबंध-ग-1.

विपणन प्रोत्साहन

एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत विपणन प्रोत्साहन के दावे हेतु हथकरघा निगमों/शीर्षस्थ सहकारी समितियों/फेडरेशनों/राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों आदि द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र

1. राज्य का नाम
2. दावे से संबंधित वर्ष
3. एजेंसी का नाम एवं पता
4. सहकारी समिति द्वारा कवर की गई बुनकर एजेंसियों की संख्या

	पुरूष	महिला	**कुल**
सामान्य			
अ.जा			
अ.ज.जा.			
अ.पि.व.			
अल्पसंख्यक			
अन्य			
कुल			

5. पिछले तीन वर्षों का बिक्री टर्नओवन (शीर्षस्थ/फेडरेशनों/निगमों, सरकारी विभागों/एजेंसियों को की गई बिक्री, हथकरघा एजेंसियों को की गई बिक्री/वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत की गई बिक्री तथा रिबेट स्कीम के अंतर्गत सहायता के दावे के प्रयोजनार्थ परिकल्पित बिक्री को छोड़कर)

क्र.सं.	वर्ष फैब्रिक	मेडअप्स	परिधान	कुल
i)				
ii)				
iii)				
कुल				

6. पिछले तीन वर्षों का औसत टर्नओवर
7. 10% की दर से पात्र विपणन प्रोत्साहन
8. राज्य का अंशदान 5% की दर से
9. केन्द्रीय सरकार का अंशदान 5% की दर से

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आंकड़े सही हैं और एजेंसी द्वारा शीर्षस्थ/फेडरेशनों/निगमों, सरकारी विभागों/एजेंसियों/हथकरघा एजेंसियों को की गई बिक्री, छूट योजना के अंतर्गत सहायता के दावे हेतु परिकलित बिक्री तथा वस्तु-विनिमय प्रणाली के अंतर्गत की गई बिक्री के विपणन प्रोत्साहन की गणना में शामिल नहीं किया गया है ।

सहकारी समिति/
एजेंसी के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर
मुहर सहित

सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर
पंजीयन सं. सहित
सांविधिक लेखा परीक्षक
मुहर सहित

<u>अनुबंध -ग-1 के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र</u>

1. प्रमाणित किया जाता है कि एजेंसी कार्यरत है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि विपणन प्रोत्साहन की पात्रता की गणना हेतु क्रम सं. 1 से 5 में उल्लिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया है और वे सही हैं और उनका विधिवत सत्यापन किया गया है ।

3. इस प्रस्ताव को राज्य स्तरीय परियोजना समिति की दिनांक_______ को आयोजित इसकी बैठक, जिसका कार्यवृत्त संलग्न है, में मंजूरी दे दी गई है ।

4. राज्य का अंशदान राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश सं. ________दिनांक __________ द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया है । राज्य के हिस्से की रिलीज आदेश की प्रति सलंग्न है ।

5. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है ।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी मौजूद है और कार्य कर रही है ।

7. प्रमाणित किया जाता है कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह एजेंसी भ्रष्ट पद्धतियों में लिप्त है ।

8. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सही है और गारंटी संगठन के बही खातों से इसका सत्यापन किया जा सकता है ।

(हस्ताक्षर)

प्रभारी निदेशक हथकरघा

मुहर सहित

<u>अनुबंध-ग-2</u>

विपणन प्रोत्साहन

एकीकृत हथकरघा विकास योजना के विपणन प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत हथकरघा एजेंसियों के दावे अग्रेषित करते समय हथकरघा निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला समेकित विवरण

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	दावे से संबंधित वर्ष	कुल विपणन प्रोत्साहन की पात्रता	एसएलपीसी द्वारा अनुमोदित विपणन प्रोत्साहन	राज्य का अंशदान	केंद्रीय अंशदान	राज्य सरकार द्वारा जारी राशि	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली राशि
कुल								

ऊपर उल्लिखित हथकरघा एजेंसियों द्वारा शामिल किए जाने वाले श्रेणीवार बुनकरों की कुल संख्या निम्नलिखितनुसार है:-

उपर्युक्त हथकरघा एजेंसियों द्वारा शामिल किए जाने वाले श्रेणीवार बुनकरों की कुल संख्या											
सामान्य		अजा		अजजा		अपिव		अल्प संख्यक		योग	
पुरूष	म हि ला	पुरूष	म हि ला	पुरूष	म हि ला	पुरूष	म हि ला	पुरूष	म हि ला	पुरूष	म हि ला

हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी एजेंसियां कार्यरत हैं ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि ______राज्य के संबंध में ऊपर उल्लिखित समेकित विवरण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग दावों के अधार पर तैयार किया गया है ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्तुत दावों में कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है और यह कि उपर्युक्त हथकरघा एजेंसियों द्वारा दावा की गई सहायता का पहले कभी दावा नहीं किया गया था ।
4. प्रमाणित किया जाता है कि योजना की सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं ।
5. प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विपणन प्रोत्साहन के रूप में अब तक निर्गत समस्त सहायता की संपूर्ण राशि संबंधित गारंटी संगठन को प्रदान कर दी गई है ।
6. प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पहले निर्गत विपणन प्रोत्साहन सहायता के संवितरण के बारे में राज्य में कोई शिकायत(शिकायतें) प्राप्त नहीं हुई है ।
7. प्रमाणित किया जाता है कि _________की राज्य सरकार के संबंध में हथकरघा एजेंसियों द्वारा अब प्रस्तुत दावा जो उक्त वर्ष (वर्षों) के संबंध में है, पूर्ण तथा अंतिम है और राज्य द्वारा इस अवधि के संबंध में भविष्य में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

8. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है ।

9. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी मौजूद है और कार्य कर रही है ।

10. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त हथकरघा संगठनों/एजेंसियों के दावों को राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा दिनांक ________ को आयोजित इसकी बैठक में, जिसका कार्यवृत्त संलग्न है, मंजूरी दे दी गई थी।

11.प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण एक सी डी में अग्रेषित किया गया है ।

प्रभारी निदेशक हथकरघा के हस्ताक्षर

***